



कार्यालय नगर पालिका पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम् (म.प्र.)  
Municipal Council Pipariya Distt-Narmadapuram

पं.दीनदयाल उपाध्याय पार्क के  
बाजू में, तिलक वार्ड, पिपरिया  
फोन नं. 07576-222041  
पिन-461775  
EMail- emopipariya@mpurban.gov.in

क्रमांक / न.पा. / 2026 / 163

पिपरिया दिनांक:- 28.04.2026

**ई- निविदा आमंत्रण सूचना**

एतद द्वारा सूचित है कि म.प्र. शासन में पंजीकृत/केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/सप्लायर/विक्रेताओं/फर्मों के माध्यम से तालिका में वर्णित कार्यों हेतु नगर पालिका पिपरिया को वर्ष 2026-27 में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों आदि की दरें हेतु नियमानुसार ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।


क्र.	कार्यों का विवरण	प्रा.राशि	धरोहर राशि	निविदा फार्म शुल्क	मात्रा
1	स्वच्छता शाखा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये विभिन्न प्रकार के वाहनों को सुधरवाये जाने हेतु नवीन सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु।	12.00 लाख	9000/रु	2000/रु	आवश्यकतानुसार

**// समय तालिका //**

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	टेंडर फार्म लेने की तिथि	29.04.2026 10:30 AM
2	टेंडर फार्म लेने एवं दर लिये जाने की अंतिम तिथि	29.05.2026 17:30 PM
3	प्रपत्र, इत्यादि का लिफाफा ए खोलने की तिथि	01.06.2026 10:30 AM
4	निविदा दर खोले जाने की तिथि	Will be provided later

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा, समाचार पत्र में कोई संशोधन प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

शर्त:- अन्य आवश्यक जानकारी एवं शर्तें नगर पालिका परिषद पिपरिया के स्वच्छता शाखा में देखी जा सकती हैं

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद पिपरिया  
जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.)

## निविदा की आवश्यक शर्तें

01. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
02. नवीन सामग्री की आवश्यकता के अनुसार सामग्रियां समय-समय पर सामग्री प्रदाय आदेश जारी कर क्रय की जावेगी इसी आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
03. सप्लायर को मानक स्तर की सामग्रियां प्रदाय करना होगा।
04. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित रहेगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निकाय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
05. नवीन सामग्रियां प्रदाय आदेश जारी उपरांत तत्काल प्रभाव से कार्यालय में सामग्रियां सप्लायी कर देनी होगी।
06. नवीन सामग्रियां की वारंटी एवं गारंटी कम्पनी अनुसार प्रदाय करनी होगी।
07. निविदा दाता के वैध टिन,जी.एस.टी.नम्बर एवं पैन नम्बर होना अनिवार्य है।
08. यह संक्षिप्त निविदा केवल प्रकाशनार्थ की जा रही है।
09. सभी सामग्रियां की दरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर कुल राशि अनुसार ही जिस निविदाताओं की न्यूनतम दरें होगी वही स्वीकृत की जावेगी।
10. स्वीकृत दर, अनुबंध एवं कार्यादेश उपरांत से ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रभावशील रहेंगी। अत्यावश्यक स्थिति में इसे परिषद/पी.आई.सी. के निर्णय अनुसार वर्ष 2027-28 तक के लिये स्वीकृत दर पर बढ़ाई जा सकेगी।
11. सफल निविदाकार को निकाय क्षेत्रांतर्गत एक स्थानीय भंडार स्थापित करना होगा जिसमें चाही गयी सभी सामग्रियां संग्रहित करनी होगी और समय समय पर चाही गयी सामग्रियां कार्यादेश उपरांत तत्काल उपलब्ध करानी होगी।
12. सामग्री नगर पालिका परिषद पिपरिया तक पहुँचाकर देनी होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद पिपरिया  
बिजा लखवापुरम (म.प्र.)